

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला-भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :-महीपाल सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :- २४ / 20२० डाफ

1. श्री नारायण पि० गोपी गुप्ते नि० निम्न क० कारिमा -स्ट० क्षेत्र- कोरडा  
--प्रार्थी।

बनाम

1. श्री आसू पि० वीरा गुप्ते नि० मरू खेड़ा -स्ट० क्षेत्र- कोरडा  
--विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: २२/७/2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0 भू0 राज0 अधि0 1956 के त प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोरडा पटवार हल्का कोरडा-पटवार भू0नि0 क्षेत्र कोरडा-पटवार में उनके खाता संख्या ४१ की आ0नं० २६३ रकबा २.०० बीघा ४६२/२६३ रकबा ३.०० बीघा कोरडा रकबा ५.०० बीघा स्थित है।

ग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक २४/७/२०२० को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से प्ररगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की फेरी होने का अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेशः

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कोरडा पटवार हल्का कोरडा-पटवार भू0अ0नि0 क्षेत्र कोरडा-पटवार में उनके खाता संख्या ४१ की आ0नं० २६३ रकबा २ बीघा, ४६२/२६३ रकबा ३.०० बीघा कोरडा रकबा - ५.०० बीघा स्थित है।

मि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि0 को कोरडा-पटवार को ६००/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल बड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

तलंगन :- प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड न्यायाधीश पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक क्लर्क करेडा  
करेडा (जिला भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड न्यायाधीश पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक क्लर्क करेडा  
करेडा (जिला भीलवाड़ा)

